(प्रकाशन हेतु अनुमोदित)

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा

दांडिक अपील क्रमांक 1539/1994

अहिवरन एवम अन्य

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 13 दिसम्बर 2011 को सूचीबद्ध करें

सहीं/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा

दांडिक अपील क्रमांक 1539/1994

अपीलार्थीगण: 1. अहिवरन, पिता- नन्दूराम यदु (यादव), उम्र 40 वर्ष, कृषक, निवासी- ग्राम सांकरा, थाना- बसना, जिला- रायपुर

2. पठान नाग, पिता- मोहनलाल यादव, उम्र- 44 वर्ष, शिक्षक, निवासी- ग्राम सांकरा, थाना- बसना, जिला- रायपुर

3. जागेश्वर नाई, पिता- नर्सिंग नाई, उम्र 25 वर्ष, कृषक, निवासी- ग्राम सांकरा, थाना- बसना, जिला- रायपुर

4. श्याम, पिता- पूरनचंद परधान (कोल्टा), उम्र 50 वर्ष, निवासी- ग्राम पिप्रोर्थ , बसना, जिला- रायपुर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य
(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्तिथि:

श्री एन.के. मेहता, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी 1,3 व 4

श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी 2

श्री आर.आर. सिन्हा, पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य

निर्णय

(13/12/2011)

1. यह अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 320/1991 में पारित दिनांक 30 नवम्बर, 1994 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (आगे "विशेष अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3(1)(**v**) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा उन्हें 6 माह के सश्रम कारावास एवं ₹500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 3 माह के साधारण कारावास से दण्डित किए जाने का आदेश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं—

सूरजाबाई (अ.सा.क्रं-1), डोंगर सिंह ध्रुव (अ.सा.क्रं-3) की माता हैं। वे गोंड जनजाति से संबंधित हैं। उनकी पैतृक संपत्ति (कृषि भूमि) कुल 8 खसरा नंबर, रकबा 1.857 हेक्टेयर, ग्राम सकरा, पटवारी हल्का क्रमांक 460, तहसील महासमुंद, तत्कालीन जिला रायपुर में स्थित है। दिनांक 11.4.1991 को डोंगर सिंह ध्रुव ने विशेष हरिजन थाना, रायपुर में एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी/5) प्रस्तुत की। उसमें यह आरोप लगाया कि अभियुक्त विष्णु मनोहर दुबे, जो पूर्व मालगुजार है, ने सह-अभियुक्त शमशुद्दीन की सहायता से उसकी भूमि के विभिन्न भागों को अपीलार्थीगण तथा कुछ अन्य ग्रामवासियों को विक्रय कर दिया तथा उनका कब्जा भी उन्हें सौंप दिया।

सन् 1990 के किसी समय उसे ज्ञात हुआ कि अपीलार्थीगण ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा उस पर कुछ निर्माण भी कर लिया है। जब वह अभियुक्त विष्णु मनोहर दुबे एवं सह-अभियुक्त शमशुद्दीन से मिला, तब विष्णु मनोहर दुबे ने उसे बताया कि वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि का एक भाग है तथा उसने उक्त भूमि के भाग अपीलार्थीगण को आवंटित किए हैं और इसके लिए वही उत्तरदायी है। अभियुक्त विष्णु मनोहर दुबे पूर्व में ग्राम सरपंच था, किंतु अपीलार्थीगण को कब्जा दिए जाने के समय वह पंचायत में किसी भी पद पर पदस्थ नहीं था, अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले की विवेचना की गई; परिवादी की भूमि का सीमांकन किया गया; नक्शा तैयार किया गया; खसरा प्राप्त किया गया तथा विवेचना में यह पाया गया कि अपीलार्थी परिवादी की भूमि के विभिन्न भागों पर अवैध रूप से कब्जा धारण किए हुए थे, अतः विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(**v**) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/6) दर्ज की गई तथा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण, जिनमें अपीलार्थी भी सम्मिलित थे, के विरुद्ध वर्ष 1990 में परिवादी को अवैध रूप से बेदखल करने के आरोप में विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(**v**) के अंतर्गत अभियोजन चलाया गया।

3. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह अभिमत व्यक्त किया कि अभियुक्त विष्णु मनोहर दुबे (अभियुक्त क्रमांक 5) एवं शमशुद्दीन (अभियुक्त क्रमांक 6) के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है, अतः

उक्त दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया। तथापि, चार अपीलार्थीगण (अभियुक्त क्रमांक 1 से 4) को विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(**v**) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया।

4. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि परिवादी को अवैध रूप से बेदखल किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है; संबंधित भू-खण्ड ग्राम के पूर्व मालगुजार एवं सरपंच द्वारा अपीलार्थीगण को सौंपे गए थे तथा इसके लिए परिवादी के पिता, जो उक्त संपत्ति के स्वामी थे, को कुछ भुगतान भी किया गया था। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंधित भागों पर अपीलार्थीगण का कब्जा सद्भावनापूर्ण था और इस प्रकार विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(**v**) अथवा उक्त अधिनियम की किसी अन्य धारा के अंतर्गत कोई अपराध गठित नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध किया तथा विशेष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा विशेष प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

7. सूरजाबाई (अ.सा.क्रं-1) बासु सिंह की विधवा हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वे गोंड समुदाय से संबंधित हैं। उनकी कृषि भूमि ग्राम सकरा में स्थित है। उनके पति उक्त कृषि भूमि के कब्जे में थे। अभियुक्तगण ने उनकी कृषि भूमि के कुछ भागों पर मकान निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने गत वर्ष निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने इस बात से इंकार किया कि उनके पति

ने अभियुक्तों को भूमि विक्रय करने के लिए कोई अग्रिम राशि प्राप्त की थी। तथापि, उन्होंने यह स्वीकार किया कि पिछले 4-5 वर्षों से वे उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहे थे। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्तों ने उनकी भूमि ₹2200/- एवं ₹3100/- देकर क्रय की थी। उनका साक्ष्य दिनांक 5.3.1993 को अभिलिखित किया गया।

8. डोंगर सिंह ध्रुव (अ.सा.क्रं-3) ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने वर्ष 1987 में ग्राम सकरा छोड़ दिया था और ग्राम बागबाहरा में निवास कर रहे थे। जब वे वर्ष 1990 में पुनः ग्राम सकरा आए, तो उन्होंने देखा कि अपीलार्थी उनकी भूमि के एक भाग पर निर्माण हेतु नींव खोद रहे थे। जब उन्होंने उनसे कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि अभियुक्त विष्णु मनोहर दुबे ने यह भूमि उन्हें दी है। इसके पश्चात उनकी विष्णु मनोहर दुबे से बातचीत हुई, जिसके बाद वे वापस बागबाहरा चले गए। वर्ष 1991 में उनकी माता ग्राम सकरा आईं और वे भी अपनी माता के साथ गए। उस समय तक उनके पिता का देहांत हो चुका था। उनकी माता ने उन्हें बताया कि अभियुक्तगण उनकी भूमि पर नींव खोद रहे हैं। इसके पश्चात उन्होंने एक उपर्युक्त प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रतिपरीक्षण में उसने इस बात से इंकार किया कि उसके पिता ने अपीलार्थीगण से कोई राशि प्राप्त की थी अथवा भूमि के कुछ भाग अपीलार्थीगण को विक्रय किए थे। उसने विशेष रूप से यह स्वीकार किया कि वर्ष 1990 तक किसी भी अभियुक्त ने उनकी भूमि पर नींव नहीं खोदी थी, किंतु उसने उन्हें वर्ष 1991 में नींव खोदते हुए देखा था। उसने इस सुझाव का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भी खंडन किया कि उसे इस बात की जानकारी है कि उसके पिता ने अभियुक्तों को भूमि विक्रय की थी तथा यह भी कि अभियुक्तगण पिछले 12 वर्षों से उक्त भूमि के कब्जे में थे।

9. अपीलार्थीगण ने अपने बचाव में दो साक्षियों का परीक्षण कराया, जिनके नाम हैं — भंवर सिंह बंछोर (बचाव साक्षी क्र.-1) तथा नन्हे खाँ (बचाव साक्षी क्र.-2)। भंवर सिंह बंछोर (बचाव साक्षी क्र.-1) ने अपने बयान में कहा कि अपीलार्थी अहिवरन, पठान नाग एवं जगेश्वर नाई ने डोंगर सिंह ध्रुव के भू-खण्डों पर अपने मकान निर्मित किए हैं। उन्होंने ये भू-खण्ड बासु सिंह से क्रय किए थे। बासु सिंह की मृत्यु हो चुकी है। भू-खण्ड क्रय करते समय पठान नाग ने ₹3100/- में क्रय करने पर सहमति व्यक्त की थी तथा अहिवरन एवं जगेश्वर नाई ने क्रमशः ₹2200/- एवं ₹1300/- में क्रय करने पर सहमति दी थी। उनके द्वारा आधी राशि का भुगतान किया गया था। चूँकि वह उनका पड़ोसी है, अतः वह उक्त लेन-देन के समय उपस्थित था। अभियुक्तगण पिछले 15 वर्षों से उक्त भूमि के कब्जे में हैं तथा लगभग 12 वर्षों से वहाँ निर्माण कार्य किया गया है। भंवर सिंह बंछोर (बचाव साक्षी क्र.-1) ग्राम पंचायत में लिपिक के पद पर कार्यरत था। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि बासु सिंह द्वारा किसके पक्ष में कोई विक्रय विलेख इन व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किया गया था या नहीं। उसे इस संबंध में किसी लिखित अनुबंध के विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, बचाव साक्षी क्र.-1 भंवर सिंह बंछोर की प्रतिपरीक्षण में बासु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिंह को राशि के भुगतान तथा अभियुक्तगण द्वारा दीर्घकाल से कब्जा धारण किए जाने के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण अथवा प्रतिकूल तथ्य सामने नहीं लाया जा सका। नन्हे खाँ (बचाव साक्षी क्र.-2) ने भी इसी प्रकार का बयान दिया। उसने भी अभियुक्त पठान नाग, अहिवरन एवं जगेश्वर नाई द्वारा उपर्युक्त प्रतिफल पर बासु सिंह से भूमि क्रय किए जाने तथा उनके द्वारा बासु सिंह को कुछ राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में बयान दिया। उसकी प्रतिपरीक्षण में भी लोक अभियोजक द्वारा कोई प्रतिकूल तथ्य उद्भासित नहीं किया जा सका।

10. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के साक्षियों के कथनों पर इस आधार पर विश्वास नहीं किया कि अभियुक्तगण ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए अपने कथनों में मृतक बासु सिंह से सद्भावनापूर्ण क्रय किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया। उन्हें इस आधार पर भी अविश्वसनीय माना गया कि बासु सिंह एवं अभियुक्तगण के मध्य कथित लेन-देन के संबंध में कोई भी लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। विशेष न्यायाधीश ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि ₹100/- से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का अंतरण विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के बिना संभव नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में, चूँकि कथित लेन-देन एक जनजाति एवं गैर-जनजाति के मध्य था, अतः मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(6) के अंतर्गत पूर्वानुमति आवश्यक थी, जो कि प्राप्त की गई प्रतीत नहीं होती है, अतः बचाव साक्षी, जिन्होंने संपत्ति के विक्रय के प्रतिफल की आधी राशि के भुगतान तथा उक्त लेन-देन के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवज में कब्जा सौंपे जाने के संबंध में बयान दिया है, अविश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया उपर्युक्त तर्क उचित एवं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि वर्ष 1959 की उक्त संहिता की धारा 165(6) के अंतर्गत पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना किसी जनजाति की कृषि भूमि का अंतरण संभव नहीं था तथा इतनी मूल्य की अचल संपत्ति होने के कारण उसके लिए पंजीयन भी आवश्यक था, किन्तु यदि विक्रेता ने प्रस्तावित अंतरण के एवज में राशि प्राप्त कर ली हो और क्रेताओं को भूमि का वास्तविक कब्जा सौंप दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्रेताओं का कब्जा अवैध या अनधिकृत नहीं कहा जा सकता और किसी भी प्रकार से ऐसी कार्यवाही को अवैध बेदखली अथवा भोग एवं कब्जे में हस्तक्षेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभियोजन पक्ष के साक्षियों के प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण ने संपत्ति के तत्कालीन स्वामी बासु सिंह को आंशिक भुगतान कर अनुमति-प्राप्त कब्जा धारण करने का बचाव लिया है। इस संबंध में अनेक प्रश्न पूछे गए हैं। अतः यदि अभियुक्तगण ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए अपने कथनों में इन समस्त तथ्यों का उल्लेख नहीं भी किया हो, तो मात्र इसी आधार पर उनके बचाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे यह बचाव पहले ही अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षण के दौरान ले चुके हैं। मेरे विचार से, उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दोनों बचाव साक्षियों के कथनों को अस्वीकार करना विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, बचाव पक्ष के साक्षी, जो

उसी क्षेत्र एवं उसी ग्राम पंचायत के निवासी थे, उन्होंने यह बयान दिया कि बासु सिंह द्वारा कुछ राशि प्राप्त करने के एवज में भूमि अभियुक्तगण को दी गई थी तथा अभियुक्तगण उक्त भूमि पर लंबे समय से कब्जा धारण किए हुए थे।

12. विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(v) यह प्रावधान करती है कि—

"जो कोई, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से अवैध रूप से बेदखल करता है या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करता है, वह ऐसे कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी, किंतु जो पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इससे यह स्पष्ट होता है कि विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(v) के अंतर्गत अपराध स्थापित करने के लिए अवैध बेदखली या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप का होना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में, उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मुझे न तो "अवैध बेदखली" का और न ही "अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप" का कोई तत्व परिलक्षित होता है। यदि किसी संपत्ति पर कुछ लेन-देन के एवज में कब्जा किया गया हो और ऐसे लेन-देन के परिणामस्वरूप अथवा अंतरण हेतु अग्रिम राशि प्राप्त होने के कारण कब्जा सौंप दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध गठित नहीं होता है।

13.उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(**v**) के अंतर्गत अपीलार्थीगण को दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर हैं। उनकी जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा बंधपत्र को उन्मोचित किया जाता है।

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by: Adv. Navdeep Agrawal